सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 240/17 **निर्णय दिनांकः 23.05.2018**

1. प्रेम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्

2. अपील संख्या 241/17

1. प्रेम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मनीराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—02—2017 व 21—02—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20—02—2017 व दिनांक 21—02—2017 जिसके द्वारा आवांटन नियमों के विपरीत जाकर, बिना वरियता, बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के एकतरफा तौर पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 68/46 में 25 बीघा भूमि के लिए अपीलाट व रेस्पोडेन्ट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दिनांक 20—02—2017 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर करीब 10 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र मतदाता सूची आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अधूरा व अपूर्ण होने से रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखता है तथा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था। रेस्पोडेन्ट की आवंटन आर्डरशीट पर आवंटन अधिकारी ने हस्ताक्षर दिनांक 21—02—2107 को किये है और 35 प्रतिशत राशि का चालाना एक दिन पूर्व ही 20—02—2017 को जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 68/46 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अपीलांट ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेनट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट मनीराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की है। मनीराम के आवेदन के साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण है अतः मनीराम सर्वोच्य प्राथमिकता का आवेदक है एवं थाना क्षेत्र छत्तरगढ़ का निवासी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 68/46 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी

स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 68/46 रकबा 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 1 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 68/46 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है

(4) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमिके आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत रखा था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य व सबूत को प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर प्रदान करते।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्वयं ही यह तय कर लिया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु मनीराम की प्रथम वरियता बनती है। जबकि अपीलांट प्रेमसिंह की किस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की वरियता नहीं बनती है इसका कोई खुलासा अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है। इसप्रकार स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन आदेश 20—02—2017 को जारी करते हुए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 21—02—2017 अंकित की गई है। इसप्रकार आवंटन आदेश पारित करने में अदालत मातहत की दुर्भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 20—02—2017 व दिनांक 21—02—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर